न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 97/2024
सीसीएमएस : 2024/270

1. मदनलाल पुत्र श्री रामजीलाल जाति कुम्हार साकिन 22 पी.टी.डी. तहसील जिला श्री गंगानगर राज.।

—:प्रार्थी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र श्री बालूराम जाति कुम्हार साकिन 22 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
2. राजस्थान सरकार उप तहसीलदार मुकलावा राजस्व तहसीलदार। —:अप्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम</u>

तारीख रजू 21.08.2024

उपस्थितअधिवक्तागण

1. श्री अजीतसिंह मुंजाल प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री अजीतपालसिंह अधि. अप्रार्थी सं. 1।

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक :—09.06.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं अप्रार्थी संख्या 1 रामजीलाल के नाम से बशराक्कत अमीचन्द्र बगैरह के साथ वाके चक 60 आरबी तहसील रायसिंहनगर की जामबंदी संवत 2075—2078 खतौनी संख्या 61/81 मुरब्बा नं. 34 पं.नं. 174/270 में 3.795 है. नहरी व मु.नं. 35 पं.नं. 174/271 में 3.795 है. नहरी कुल 7.590 है. नहरी भूमि में से 1/12 हिस्सा तादादी 0.632 है. नहरी खातेदारी भूमि है। इसी तरह अप्रार्थी सं. 1 रामजीलाल के नाम बशराक्कत वगैरह के इसी चक 60 आरबी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2075—2078 खतौनी संख्या 62/80 मु.नं. 34 पं.नं. 174/270 में 2.530 है. नहरी भूमि में से 211/2530 हिस्सा तादादी 0.211 है. नहरी खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से बशराक्कत राजेन्द्र कुमार के साथ चक 22 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074—2077 खतौनी संख्या 32/30 मुरब्बा नं. 8 पं.नं. 297/349 में 6.325 है. नहरी मय खाला भूमि में 1/2 हिस्सा तादादी 3.163 है. नहरी खातेदारी भूमि है अप्रार्थी सं. 1 रामजीलाल के नाम से उपरोक्त दोनों चकों की कुल तीन खाता की भूमि तादादी 4.006 है. नहरी भूमि उनके पिता श्री बालूराम वल्द सरदाराराम जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार की मृत्यु पश्चात बतौर विरास्तन प्राप्त हुई है जो हिन्दू खानदान की कोपार्सनरी सम्पति है अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के पिता है अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की उक्त भूमि उनके पिता श्री बालूराम वल्द सरदाराराम के देहान्त के पश्चात बतौर विरास्तन प्राप्त हुई। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की उक्त भूमि हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति की परिभाषा में आती है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की उक्त भूमि हिन्दू खानदान की कोपासरी समपित होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 के नाम की उक्त दोनों चकों में कुल तीन खाता [illegible] है. नहरी भूमि में प्रार्थी व उसके भाई राकेश कुमार तथा अप्रार्थी [illegible] का बहिस्सा बराबर—बराबर 1/3—1/3 हिस्सा बना त[illegible] हिस्से में 1.335 है. नहरी भूमि हिस्से में आती है इस प्रकार प्रार्थी को 1 [illegible] हिस्सा में कुल 1.335 है. नहरी भूमि हिस्सा में आई जिस भूमि का प्रार्थी अपने आपको खातेदार घोषित करवाने का विधिक अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 [illegible]ड़ी प्रवर्ति का व्यक्ति है जो घर में अकसर प्रार्थी के साथ मारपीट करते है तथा अपने नशा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

लत पुरी करने के लिए अपने नाम की उक्त दोनों चकों की तीनों खातों की भूमि तादादी 4.006 है. नहरी भूमि को बेचान करने की फिराक में है जिसमें प्रार्थी का भाई राकेश कुमार भी अप्रार्थी सं. 1 का साथ दे रहा है जिनकों काफी बार पंचायत करके समझाय गया लेकिन वे किसी बात पर नहीं माने तथा प्रार्थी के विरास्तन हक को हड़प करने की फिराक में है तथा प्रार्थी का हक हड़प करने की नियत से इस विरास्तन सम्पति को खुर्द बुर्द करना चाहते है ताकि प्रार्थी का पैदायशी व विरास्तन हक समाप्त हो जाए तथा इसकी बाबत् प्रार्थी तथा मौतबीन व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों द्वारा काफी पंचायत की गई जिस पंचायत में अप्रार्थी संख्या 1 रामजीलाल व प्रार्थी के भाई राकेश कुमार को समझाया गया कि वे यानि अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम की उक्त विरास्तन भूमि में से प्रार्थी के हक व हिस्सा 1/3 हिस्सा भूमि तादादी 1.335 है. नहरी भूमि को प्रार्थी के नाम करवावें, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की तथा अपने नशा की लत की आपूर्ति करने के लिए इस भूमि की बिकवाली निकाल दी तथा प्रार्थी को एलानियां धमकी दी कि वे अपने नाम की तमाम भूमि का बेचान करेंगें। लेकिन प्रार्थी को कोई हक व हिस्सा नहीं देगे। अप्रर्थी संख्या 1 उक्त हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति में से प्रार्थी का हिस्सा खत्म करने की नियत से गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलीभगती करके उक्त तमाम भूमि को किसी अन्य के नाम बेचान करवाने की फिराक में है तथा अपने इस नापाक इरादा में कामयाब होने के लिए उन्होने अपने साथ कुछ अन्य व्यक्तियों को साथ मिलाकर भूमि को हस्तारण करने की योजना बना रहे है जिस पर प्रार्थी ने अपने साथ अपने मौतबीर व्यक्तियों को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 11.08.2024 को बुकाम 22 पी.टी.डी. में पंचायत करके समझाया कि वे प्रार्थी को उसके हक व हिस्सा की जमीन देकर नाम करवा देंगे तथा घर में ऐसा विवाद न करों जिससे प्रार्थी का पैदायशी हक हकूक समाप्त होता हो तथा प्रार्थी उक्त भूमि के सांझा कब्जा से बेदखल होता हो, तो पंचायत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रथमतया टालमटोल करने के बाद ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया तथा प्रार्थी व मौतबीरान व्यक्तियों को पंचायत के समक्ष धमकी दी कि वह विवादित भूमि को अतिशीघ्र किसी अन्य को बेचान करेगा तथा कब्जा अन्यत्र हस्तान्तरण करवायेगा, अगर इसमें प्रार्थी ने कोई आनाकानी की तो वे उन्हे जान से भी खत्म करवा देंगे जो यही तारीख बिनाय मुखास्मत है तथा बिनाय दावा/प्रार्थना पत्र प्रार्थी को उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में विरास्तन दर्ज होने व प्रार्थी का पैदायशी व विरास्तन हक होने के रोज से प्राप्त है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का पूर्ण रूप से सिद्व है कि उपरोक्त विवादित हिन्दू खानदान की कोपार्षरी सम्पति है जिस भूमि में मुझ प्रार्थी का पैदाइशी व विरास्तन हक हकूक है तथा उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी ने वर्तमान में नहरी भूमि पर प्रार्थी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी ने वर्तमान में नहरी भूमि में फसल सावणी का बिजान तीनों का सांझा किया हुआ है इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने इस नापाक इरादा में कामयाब होकर विवादित भूमि को किसी अन्य को रहन बैय अथवा बेचान करवा देते है तथा भूमि का कब्जा अन्यत्र सुपुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थी का पैदायशी हक समाप्त हो जावेगा जिससे प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकशान होगा तथा पैदायशी हक समाप्त हो जावेगा जिससे प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकशान होगा जिसका आंकलन किसी भी मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रार्थी की ओर से सादर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे चक 60 आरबी तहसील रायसिंहनगर की जामबंदी संवत 2075–2078 खतौनी संख्या 61/81 मुरब्बा नं. 34 पं.नं. 174/270 में 3.795 है. नहरी व मु.नं. 35 पं.नं. 174/271 में 3.795 है. नहरी कुल 7.590 है. नहरी भूमि में से 1/12 हिस्सा तादादी 0.632 है. नहरी खातेदारी भूमि है। इसी तरह चक 60 आरबी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2075–2078 खतौनी संख्या 62/80 मु.नं. 34 पं.नं. 174/270 में 2.530 है. नहरी भूमि में से 211/2530 हिस्सा तादादी 0.211 है. नहरी खातेदारी भूमि। इसी तरह चक 22 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074–2077 खतौनी संख्या 32/30 मुरब्बा नं. 8 पं.नं. 297/349 में 6.325 है. नहरी मय खाला भूमि में 1/2 हिस्सा तादादी 3.163 है. नहरी खातेदारी भूमि है अप्रार्थी सं. 1 रामजीलाल के नाम से उपरोक्त दोनों चकों की कुल तीन खाता की भूमि तादादी 4.006 है. नहरी भूमि के किसी भू–भाग को रहन बैय व हस्तारण करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसी कोई कार्यवाही न करे जिससे कि प्रार्थी अपने विरास्तन हक हकूक व उक्त भूमि के संयुक्त कब्जा काश्त से वंचित होता हो।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 तरफ से श्री अजीतपालसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा के साथ प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि वाके चक 60 आरबी के संयुक्त खाता सं. 61/81 मु.नं. 34 पं.नं. 174/270 की 3.705 है. नहरी व मु.नं. 35 पनं. 174/271 की 3.795 है. नहरी कुल खाता योग 7.590 है. नहरी भूमि में मिन अप्रार्थी का 1/30 मूल विरास्तन हिस्सा यानि 0.253 है. भूमि ही है न कि 0.632 है. भूमि। शेष भूमि मिन अप्रार्थी को अपनी माता रामप्यारी व बहनों कलावती व सरस्वती देवी से जरिये पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 14.08.2023 प्राप्त होने से मिन अप्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति है। वाके चक 60 आरबी के संयुक्त खाता सं. 62/80 मु.नं. 34 पं.नं. 174/270 की कुल खाता योग 2.530 है. नहरी भूमि में मिन अप्रार्थी का 211/6325 मूल विरास्तन हिस्सा यानि 0.084 है. भूमि ही है न कि 0.211 है. भूमि। वाके चक 22 पीटीडी के संयुक्त खाता सं. 32/30 मु.नं. 8 पं.नं. 297/349 की कुल खाता योग 6.325 है. नहरी भूमि में मिन अप्रार्थी का 1/5 मूल विरास्तन हिस्सा यानि 1.265 है. भूमि ही हन कि 3.163 है. भूमि। शेष मिन अप्रार्थी को अपनी माता रामप्यारीदेवी व बहनों कलावती व सरस्वती देवी जरिये पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 14.08.2023 प्राप्त होने से मिन अप्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति है। मिन अप्रार्थी को अपने पिता की विरास्तन से 4.006 है. नहरी रकबा मिन अप्रार्थी को अपनी माता व बहनों से जरिये पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी प्राप्त होने से मिन अप्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति है वर्णित भूमि कोपारसनरी भूमि की परिभाषा में नहीं आती है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थी के पक्ष में होने से प्रथम दृष्टि प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है। अतिरिक्त आपतियों में अप्रार्थी की दोनों चकों की तीनों खातों में मिन अप्रार्थी के मूल विरास्तन अनुसार [illegible] गिन अप्रार्थी व उसके परिवार के गुजारे, पारिवारिक व सामा[illegible] जिम्मेवारियों निर्वहन व आकस्मिक जरूरतपूर्ति के लिये [illegible] जरिया नहीं है। प्रार्थी अपने पुत्र धर्म व परिवार के प्रति अपने [illegible] व जिम्मेवारियों के निर्वहन से विमुख होकर गलत [illegible] प्राकरण विवाद व झगड़े पैदा कर भूमि प्राप्त कर खुर्द–बुर्द करना चाहता है। एक क्षण के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

प्रार्थी का कोई 11/3 हिस्सा माना भी जावे तो 1.602 है. का 1/3 भाग यानि 0.534 है. होता है जो प्रार्थी मिन अप्रार्थी के जीवनकाल में प्राप्त करने का हकदार कानूनन नहीं होने से मूल वाद प्रार्थी काबिल निरस्ती के होने से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टि में ही काबिल निरस्ती के है। प्रार्थी सद्भावी नहीं है उसने प्रकरण मिथ्या व आधारहीन तथ्यों पर अप्रार्थीगण को नाहक हैरान परेशान करने व नुकशान पहुंचाने के आशय से पेश किया है जो काबिल निरस्ती के है ओर मिन अप्रार्थी प्रार्थी से विशेष हर्जाना कम से कम 10 हजार रूपये पाने का अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मौजूदा स्तर पर मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जाकर खर्चा जबावदेही व विशेष हर्जाना मिन अप्रार्थी को प्रार्थी से दिलाया जावे।

3. विद्वान अधिववक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी अस्थाई निषेज्ञाधा दिनांक 21.08.2024 को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी द्वारा हमे परेशान करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई गई है इसलिए प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे।

4. अधिवक्तागण की बहस सुनी उस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे ऐसा साबित होता हो कि उक्त विवादित भूमि पैतृक हो। प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई करने का कोई विशेष कारण दिखाई नहीं देता है जिससें प्रार्थी को कोई नुकसान होता है अगर प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को न होकर अप्रार्थीगण को होगी। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी को जरिये पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 14.08.2023 से प्राप्त हुई है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण में अपूणीय क्षति, सुविधा का संतुलन को सिद्व करने में प्रार्थी असफल रहा है। अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना न्यायाचित है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 21.08.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर होकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 09.06.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested